राजस्थान पुलिस अकादमी में नेत्रदान अभिप्रेरण सत्र

''नेत्रदान महादान'' के ध्येय वाक्य तथा **''अन्धेरे सपनों में रंग भरो, नेत्रदान करो''** के लक्ष्य के साथ दिनांक 28 अगस्त 2017 को राजस्थान पुलिस अकादमी में **'आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान'** के द्वारा नेत्रदान के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अभिप्रेरण सत्र रखा गया। इस अभिप्रेरण सत्र मे बडी संख्या में राजस्थान पुलिस अकादमी के अधिकारियों, प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान की ओर से इस अभिप्रेरण सत्र में श्री ललित कोठारी, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, श्री अशोक भण्डारी, सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, श्री शिरीष मोदी, श्री गोविन्द गुरबानी तथा उनकी टीम ने नेत्रदान के संबंध में विभिन्न जानकारियाँ प्रदान करते हुए नेत्रदान से जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया।

सत्र के प्रारम्भ में स्वागत उद्‌बोधन देते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक **श्री राजीव दासोत** ने नेत्रदान के महत्व तथा नेत्रदान जैसे पावन कार्य को प्रोत्साहित करने में 'आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान' की भूमिका की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान पुलिस अकादमी की सामाजिक सरोकारों से जुडने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेत्रदान, रक्तदान, अंगदान जैसे संवेदनशील मुद्‌दों पर अभिप्रेरण सत्र आयोजित करवाने के साथ साथ अकादमी द्वारा पुलिस परिवारों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों एवं प्रशिक्षुओं से अधिकाधिक नेत्रदान संकल्प पत्र भरने का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम के पश्चात् बड़ी संख्या में संकल्प पत्र भरे गये।

श्री शिरीष मोदी ने इस अवसर पर नेत्रदान के संबंध में आधारभूत जानकारियां प्रदान करते हुए नेत्रदान को एक प्रमुख सामाजिक सेवा बताया। उन्होने बताया कि एक

व्यक्ति द्वारा नेत्रदान कर की गई सेवा दो व्यक्तियों के जीवन को रोशन कर सकती है। उन्होने सभी को इस सामाजिक सेवा में अपना योगदान देने का आग्रह किया।

इस अवसर पर **श्री अशोक भण्डारी** ने बताया कि जहाँ अंगदान जीवित व्यक्ति का ही किया जा सकता है, नेत्रदान मृत्यु पश्चात् किया जाता है। उन्होंने बताया कि नेत्रदान व्यक्ति की मृत्यु के 6 घण्टे पश्चात् तक किया जा सकता है, जिसमें लैन्स निकालने के पश्चात् आँख को बन्द कर दिया जाता है। उन्होने नेत्रदान के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी के मन्दिर हेतु नेत्रदान का संदेश लिखी हुई एक घडी तथा एक बैनर मन्दिर के पुजारी को प्रदान किया।

इस अवसर पर **श्री ललित कोठारी** ने नेत्रदान में पुलिस की विषेष भूमिका का उल्लेख करते हुए बताया कि जिन लोगों की मृत्यु अकाल या दुर्घटना में होती है, उनके परिजनों से नेत्रदान करवाने में पुलिस अभिप्रेरण का कार्य कर सकती है। नेत्रदान मात्र 20 मिनट में किया जा सकता है तथा कोर्निया को निकालने के पश्चात् 72 घण्टे तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा पंचनामें के दौरान नेत्रदान के संबंध में सकारात्मक निर्देशों का भी उल्लेख किया।

अंत में **श्री गोविन्द गुरबानी** ने प्रश्नोत्तर सत्र में नेत्रदान से संबंधित प्रशिक्षुओं द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिये तथा बताया कि नेत्रदान सिर्फ कोर्नियल ब्लाइंडनैस से ही संबंध रखता है। अन्य प्रकार से अन्धेंपन में नेत्रदान संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि नेत्रदान 02 से 80 साल तक की उम्र तक के व्यक्ति का किया जा सकता है।

इस अभिप्रेरण सत्र में नेत्रदान पर एक **लघु फिल्म** भी दिखायी गयी तथा नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया।